

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कियान्वयन के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में
आबकारी विभाग से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के प्रावधानों के
अन्तर्गत अपेक्षित अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया जाता है

विभाग का नाम – आबकारी विभाग

विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम – आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

बिन्दु क्रमांक 1 –

आबकारी विभाग की संगठनात्मक संरचना, इसके कार्य एवं इसके कर्तव्य :–

आबकारी विभाग मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। मादक पदार्थों के निर्माण तथा उसके व्यापार पर लायसेंस फीस, डयूटी तथा अन्य करों के अतिरिक्त मनोरंजन स्थलों से मनोरंजन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करने का दायित्व आबकारी विभाग का है। मादक पदार्थों के अवैध निर्माण एवं व्यापार से संबंधित अपराध नियंत्रण का दायित्व भी आबकारी विभाग का है। विभाग के कार्य प्रमुख तौर पर निम्नानुसार है।

राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करना। प्रदेश में स्थित देशी मंदिरा आसवनियों / देशी मंदिरा भाण्डागारों के माध्यम से देशी मंदिरा का प्रदाय जिलों को कराना तथा इससे संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण एवं शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना। विदेशी मंदिरा व्यवसाय से संबंधित आसवनियों, ब्रुअरीज, विदेशी मंदिरा भाण्डागारों, के माध्यम से उपभोक्ताओं को विदेशी मंदिरा की पूर्ति कराना इससे संबंधित व्यवस्थाओं के साथ-साथ पॉपीस्ट्रा, भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी के व्यवसाय पर पर्यवेक्षण रखते हुए शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना। समय-समय पर प्रदेश में स्थित उपायुक्त कार्यालय/सहायक आयुक्त कार्यालय / जिला कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा आसवनी, देशी मंदिरा भाण्डागार/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/छविगृहों का निरीक्षण करना।

आबकारी आयुक्त अपने अधीनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की सहायता से उपरोक्त कार्य का निर्वहन करते हैं। आबकारी आयुक्त के अधीन 7 संभागीय मुख्यालयों पर कार्यरत उडनदस्तों एवं एक प्रदेश स्तरीय उडनदस्तों के माध्यम से आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु सतत् प्रयास किये जाते हैं। संभागीय उडनदस्तों को उनके संभाग में आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने के लिए आदेशित किया जाता है वहीं दूसरी ओर आकस्मिक रूप से प्रदेश के किसी भी आबकारी केन्द्र यथा- आसवनी, ब्रुअरी, देशी मंदिरा भाण्डागार, विदेशी मंदिरा भाण्डागार, देशी-विदेशी मंदिरा दुकान, एफ.एल.2-3 बार लायसेंस, पॉपीस्ट्रा, भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी की दुकान एवं छविगृहों के निरीक्षण के लिए रवजय स्तरीय उडनदस्तों द्वारा गडबडी की आशंका वाले स्थान पर आकस्मिक छापा डालने / निरीक्षण करने के लिए आदेशित किया जाता है।

आबकारी विभाग मध्यप्रदेश शासन के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रमुख सचिव के पर्यवेक्षण में कार्य करता है। इसके विभाग प्रमुख आबकारी आयुक्त है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त की सहायता हेतु दो अपर आबकारी आयुक्त एक आय.ए.एस. सर्वंग से तथा एक विभागीय संवर्ग से हैं। इसके अतिरिक्त एक उपायुक्त आबकारी, एक सहायक आबकारी आयुक्त, दो जिला आबकारी अधिकारी, एक प्रशासकीय अधिकारी, एक संयुक्त संचालक (वित्त) एवं एक सांस्थिकी अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। विभाग में निम्नलिखित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये विभागों से आबकारी विभाग में पदस्थ / प्रतिनियुक्ति पर आते हैं :–

क्रमांक	नाम पद	जिस विभाग से पदस्थ / प्रतिनियुक्ति पर आते हैं ।
1.	आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग
2.	अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग
3.	संयुक्त संचालक (वित्त)	कोष एवं लेखा संचालनालय
4.	सांख्यिकी अधिकारी	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य सभी अधिकारीगण विभागीय सेवा संवर्ग के हैं ।

एक राज्य स्तरीय उडनदस्ता भी कार्यरत है, इस उडनदस्ते के प्रभारी उपायुक्त आबकारी है जो राज्य शासन/आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु कार्य करते हैं । इसके अतिरिक्त संभाग स्तर पर आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु 7 संभागीय उडनदस्ते कार्यरत हैं । इन उडनदस्ता उपायुक्तों के अधीन एक-एक जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी, आबकारी उप निरीक्षक एवं अन्य लिपिकीय कर्मचारी पदस्थ हैं । जिला स्तर पर आबकारी प्रशासन के प्रमुख कलेक्टर होते हैं । उनकी सहायता के लिए प्रत्येक संभागीय मुख्यालय के जिलों में एक सहायक आबकारी आयुक्त एवं शेष जिलों में जिला आबकारी अधिकारी स्तर के अधिकारी पदस्थ हैं । इन जिलों में इनकी सहायतार्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक, आबकारी मुख्य आरक्षक, आबकारी आरक्षक एवं लिपिकीय कर्मचारी पदस्थ हैं । प्रदेश की आसवनियों एवं बॉटलिंग इकाईयों में भी जिला आबकारी अधिकारी स्तर के अधिकारी एवं अन्य कार्यपालिक स्टाफ पदस्थ हैं ।

विभागीय संगठनात्मक संरचना निम्न तालिका अनुसार है :-

क्रमांक	पद	कुल स्वीकृत पदों की संख्या
1.	आबकारी आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	1
2.	अपर आबकारी आयुक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग	1
3.	अपर आबकारी आयुक्त	1
4.	उपायुक्त आबकारी	10
5.	सहायक आबकारी आयुक्त	16
6.	संयुक्त संचालक (वित्त)	1
7.	जिला आबकारी अधिकारी	65
8.	सांख्यिकी अधिकारी	1
9.	प्रशासकीय अधिकारी	1
10.	सहायक जिला आबकारी अधिकारी	174
11.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2
12.	सहा. आंतरिक लेखा परीक्षक अधिकारी	6
13.	अधीक्षक	4
14.	आबकारी उप निरीक्षक	578
15.	मुख्य आरक्षक	198
16.	आरक्षक	966
17.	शीघ्रलेखक ग्रेड-1	1

18.	शीघ्रलेखक ग्रेड-2	3
19.	शीघ्रलेखक ग्रेड- 3	6
20.	अधीक्षक	4
21.	केमिस्ट	1
22	सहायक अधीक्षक	12
23.	उप अंकेक्षक	1
24	सहायक	3
25	सांख्यकी पर्यवेक्षक	1
26	मुख्य लिपिक	30
27	सहायक ग्रेड-2	73
28	लेखापाल	48
29	डाटा एन्ट्री	55
30	स्टेनो-टायपिस्ट	1
31	सहायक ग्रेड-3	266
32	वाहन चालक	66
33	सुपरवाईजर	1
34	दफतरी	33
35	भृत्य	472
36	चौकीदार / फर्रश / माली / वाटरमेन	12
37	प्रोग्रामर संविदा नियुक्ति	1
38	वाहन चालक	(नैमित्तिक वेतन)
39	चौकीदार	(नैमित्तिक वेतन)
40	फर्रश	(नैमित्तिक वेतन)
		6

आबकारी विभाग में मादक पदार्थों के निर्माण तथा उसके व्यापार पर लायसेंस फीस, ड्यूटी तथा अन्य करों के माध्यम से आबकारी राजस्व प्राप्त किया जाता है। मादक पदार्थों के अतिरिक्त मनोरंजन स्थलों से भी मनोरंजन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करने का दायित्व आबकारी विभाग का है। मादक पदार्थों के अवैध निर्माण एवं व्यापार से संबंधित अपराध नियंत्रण का दायित्व भी आबकारी विभाग का है। आबकारी आयुक्त अपने अधिनस्थ अधिकारियों / कर्मचारियों की सहायता से उपरोक्त कार्य का निर्वहन करते हैं। विभाग के कार्य प्रमुख तौर पर निम्नानुसार है : -

राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले राजस्व वसूली लक्ष्य की पूर्ति करना। प्रदेश में स्थित देशी मदिरा आसवनियों / देशी मदिरा भाण्डागारों के माध्यम से देशी मदिरा का प्रदाय जिलों में कराना तथा इससे संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण कर शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना। इसी प्रकार विदेशी मदिरा व्यवसाय से संबंधित आसवनियों, ब्रुअरीज, विदेशी मदिरा भाण्डागारों, के माध्यम से उपभोक्ताओं को विदेशी मदिरा की पूर्ति कराना इससे संबंधित व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण कर शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना। पॉपीस्ट्रा, भांग, भांगधोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी के व्यवसाय पर पर्यवेक्षण रखते हुए शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना। समय-समय पर उपायुक्त कार्यालय/सहायक आयुक्त कार्यालय / जिला कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा आसवनी, देशी मदिरा भाण्डागार/विदेशी मदिरा भाण्डागार/छविगृहों का निरीक्षण करना।

आबकारी आयुक्त के अधीन 7 संभागीय मुख्यालयों पर कार्यरत उडनदस्तों एवं एक प्रदेश स्तरीय उडनदस्ते के माध्यम से आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु सतत प्रयास किये जाते हैं। संभागीय उडनदस्तों को उनके संभाग में आबकारी अपराधों की रोकथाम हेतु निर्धारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण/पर्यवेक्षण करने के लिए आदेशित किया जाता है वहीं दूसरी ओर आकस्मिक रूप से प्रदेश के किसी भी आबकारी केन्द्र यथा— आसवनी, ब्रुअरी, देशी मंदिरा भाण्डागार, विदेशी मंदिरा भाण्डागार, देशी—विदेशी मंदिरा दुकान, एफ.एल.2-3 बार लायसेंस, पॉपीस्ट्रा, भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई, ताड़ी की दुकान एवं छविगृहों के निरीक्षण के लिए राज्य स्तरीय उडनदस्ते द्वारा गडबडी की आशंका वाले स्थान पर आकस्मिक छापा डालने / निरीक्षण करने के लिए आदेशित किया जाता है

बिन्दु क्रमांक 2 – आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्व : –

1	आबकारी आयुक्त राज्य शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले राजस्व लक्ष्य की पूर्ति करना। प्रदेश में स्थित देशी मंदिरा आसवनियों/देशी मंदिरा भाण्डागारों के माध्यम से देशी मंदिरा का प्रदाय जिलों को कराना तथा इससे संबंधित समस्त व्यवस्थाओं को पर्यवेक्षण एवं शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना। विदेशी मंदिरा व्यवसाय से संबंधित आसवनियों, ब्रुअरीज, विदेशी मंदिरा भाण्डागारों, के माध्यम से उपभोक्ताओं को विदेशी मंदिरा की पूर्ति कराना इससे संबंधित व्यवस्थाओं का पर्यवेक्षण करना तथा शासकीय राजस्व की सुरक्षा। पॉपीस्ट्रा, भांग, भांगघोटा, भांग मिठाई एवं ताड़ी के व्यवसाय पर पर्यवेक्षण रखते हुए शासकीय राजस्व की सुरक्षा करना। समय—समय पर प्रदेश स्थित उपायुक्त कार्यालय /सहायक आयुक्त कार्यालय/जिला कार्यालयों का निरीक्षण करना तथा आसवनी, देशी मंदिरा भाण्डागार/विदेशी मंदिरा भाण्डागार/छविगृहों का निरीक्षण कर प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना।
2	अपर आबकारी आयुक्त प्रशासन, स्थापना * आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार कार्यों का नियमित एवं विनिर्दिष्ट अवधि में संपादन * जिला कार्यालयों का निरीक्षण * शासन निर्देशों का क्रियान्वयन * अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का संधारण। * नियुक्तियां, पदोन्नति, कमोन्नति, वेतन निर्धारण, स्थाईकरण, अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी कार्य। * अनुशासनिक कार्यवाही। * विभागीय जांच। * अवकाश/कलेम्स की स्वीकृति। * पेंशन प्रकरणों का निराकरण। * शिकायतों की जांच। * न्यायालयीन प्रकरणों का पर्यवेक्षण। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/ समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।

3	अपर आबकारी आयुक्त तकनीकी / विभागीय	<ul style="list-style-type: none"> * आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार कार्यों का नियमित एवं विनिर्दिष्ट अवधि में संपादन। * जिला कार्यालयों का निरीक्षण * आसवनी व लायसेंसों शाखा का समस्त कार्य। * देशी मदिरा की आपूर्ति। * देशी स्पिरिट/विदेशी मदिरा का आयात/निर्यात एवं परिवहन संबंधी समस्त कार्य। * मोलासिस संबंधी समस्त कार्य। * देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की गुणवत्ता नियंत्रण। * देशी/विदेशी मदिरा ठेका/लायसेंस का निष्पादन। * मनोरंजन शुल्क अधिनियम से संबंधित कार्य। * सांख्यिकी शाखा से संबंधित कार्य। * रसायन शाला से संबंधित कार्य। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।
4	उपायुक्त आबकारी मुख्यालय	<ul style="list-style-type: none"> * आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार कार्यों का नियमित एवं विनिर्दिष्ट अवधि में संपादन * जिला कार्यालयों का निरीक्षण * विदेशी मदिरा/औषधी निर्मितियों से संबंधित समस्त लायसेंस। * विदेशी मदिरा भाण्डागार से संबंधित कार्य। * विदेशी मदिरा विक्रय दरों का अनुमोदन। * पापीस्ट्रा का नीलाम, निष्पादन, आयात—निर्यात से संबंधित कार्य। * आबकारी बकाया/अपलेखन से संबंधित कार्य। * मनोरंजन शुल्क बकाया अपलेखन से संबंधित कार्य। * स्टोर शाखा से संबंधित कार्य। * रिकार्ड शाखा से संबंधित कार्य। * नैमत्तिक देयकों की स्वीकृति। * शिकायत व जांच संबंधी कार्य। * निरीक्षण व निर्देशन व दैनंदिनी संबंधी कार्य। * प्रवर्तन, अपराध नियंत्रण संबंधी कार्य। * लीगल सेल संबंधी कार्य। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/ द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।

5	संयुक्त संचालक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> * मुख्यालय स्तर पर लेखा शाखा की सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था एवं नस्तियों के प्रस्तुतीकरण एवं संधारण की व्यवस्था। * आडिट शाखा से संबंधित समस्त कार्य। * बजट शाखा से संबंधित कार्य। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/अपर आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।
6	सांख्यिकी अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> * मुख्यालय स्तर पर राजस्व आंकड़ों का संधारण व सम्पूर्ण कार्य व्यवस्था एवं नस्तियों का प्रस्तुतीकरण। * शासन को भेजे जाने वाले राजस्व प्रतिवेदन, वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन से संबंधित समस्त कार्य। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/अपर आबकारी आयुक्त/उपायुक्त मुख्यालय द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण।
7	उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता	<ul style="list-style-type: none"> * जिलों की मादक पदार्थों से प्राप्त होने वाली राजस्व की समीक्षा करना। * मदिरा दुकानों के निष्पादन/निराकरण में जिला आबकारी अधिकारी को सहयोग। * जिला आबकारी अधिकारियों को नियम/विधिक बिन्दु अथवा अन्य कोई कठिनाई होने पर मार्गदर्शन। * संभाग के जिलों में मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों एवं राजस्व अपवंचन की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्यवाही। * बजट आवंटन के अनुसार जिलों में संपादित कार्य की समीक्षा आदि करना। * कार्य क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों की गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण। * प्रभाराधीन जिला कार्यालयों का शासन निर्देशानुसार अनुमोदित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना। * प्रभाराधीन निर्माणी इकाईयों का शासन निर्देशानुसार अनुमोदित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना * प्रभाराधीन आसवनी एवं यवासवनी का शासन निर्देशानुसार अनुमोदित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना। * प्रभाराधीन भाण्डागारों का शासन निर्देशानुसार अनुमोदित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना। * प्रभाराधीन वृत्त कार्यालयों का शासन निर्देशानुसार अनुमोदित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना। * प्रभाराधीन आबकारी केन्द्रों का शासन निर्देशानुसार अनुमोदित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना। * राज्य शासन, आबकारी आयुक्त कार्यालय सहित वरिष्ठ कार्यालयों को वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना। सामान्य परिस्थिति में दो दिवस में, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करने की स्थिति में 7 दिवस एवं आबकारी आयुक्त को भेजने स्थिति में 15 दिवस।

	<ul style="list-style-type: none"> * मादक पदार्थों से राजस्व अर्जित करने की जिम्मेदारी, राजस्व लक्ष्यों के अनुरूप कार्य न होने पर तत्काल कार्यवाही करना। * प्राप्त शिकायतों की समय सीमा में जांच कार्यवाही कर वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना। * प्राप्त विभागीय जांच की समय सीमा में जांच कार्यवाही कर वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना। * प्राप्त आवेदन पत्रों पर समय सीमा में कार्यवाही करना। * सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी /सहायक जिला आबकारी अधिकारी/ उपनिरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण /निरीक्षण रखना/ करना। * शासन निर्देशानुसार दैनंदिनी समय सीमा में भेजना। * कम्प्यूटर कार्य का पर्यवेक्षण करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/अपर आबकारी आयुक्त द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।
8	<p>सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी</p> <ul style="list-style-type: none"> * मादक पदार्थों से राजस्व अर्जित करने की जिम्मेदारी, राजस्व लक्ष्य के अनुरूप कार्य न होने पर तत्काल कार्यवाही करना। * अवैध गतिविधियों पर नियमित/प्रतिदिन समुचित नियंत्रण रखना। * अधीनस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी एवं आबकारी उपनिरीक्षक पर नियंत्रण रखना। * कार्य क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों की गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण रखना। * मदिरा दुकानों एवं मनोरंजन केन्द्रों की सतत नियमित मानीटरिंग, करना। * प्रभाराधीन भाण्डागारों का शासन निर्देशानुसार संधारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना। * प्रभाराधीन वृत्त कार्यालयों का शासन निर्देशानुसार संधारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना। * आबकारी पदार्थों की दुकानों का वित्तीय वर्ष के लिए निराकरण/निष्पादन करना। * राज्य शासन, विभागाध्यक्ष कार्यालय, संभागीय कार्यालय सहित वरिष्ठ कार्यालयों को वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना। सामान्य परिस्थिति में दो दिवस में, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करने की स्थिति में 7 दिवस एवं आबकारी आयुक्त को भेजने की स्थिति में 15 दिवस। * आबकारी अपराधों पर सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करना/ कराना। * प्रतिमाह 8 मदिरा दुकानों का निरीक्षण करना। * प्रति माह दो मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण करना।

	<ul style="list-style-type: none"> * निर्माणी इकाई का शासन निर्देशानुसार संधारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना । * आसवनी एवं यवासवनी का शासन निर्देशानुसार संधारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना । * प्रावधानानुसार समय—सीमा में पाक्षिक जानकारी भेजना । * प्रावधानानुसार समय—सीमा में मासिक व अन्य जानकारी भेजना । * कैश बुक का नियमित/प्रतिदिन सत्यापन करना । * प्रावधानानुसार समय—सीमा में मदिरा दुकानों की खपत एवं आय का परीक्षण करना । * मदिरा दुकानों के मूल्य की पंजी का संधारण कराना । * प्रावधानानुसार समय—सीमा में प्रतिमाह राजस्व का कोषालयीन सत्यापन करना । * ठेकेदारों को औपचारिकताओं की पूर्ति होने पर उसी दिन अन्यथा दो दिवस में परमिट जारी करना । * प्राप्त शिकायतों की समय सीमा में जांच कार्यवाही कर वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना । * प्राप्त आवेदन पत्रों पर समय सीमा में कार्यवाही करना । * सहायक जिला आबकारी अधिकारी/उपनिरीक्षकों के कार्यों का पर्यवेक्षण/निरीक्षण रखना/करना । * शासन निर्देशानुसार दैनंदिनी समय सीमा में भेजना । * कम्प्यूटर कार्य का पर्यवेक्षण करना । * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/अपर आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना ।
9	<p>सहायक जिला आबकारी अधिकारी</p> <ul style="list-style-type: none"> * अवैध गतिविधियों पर नियमित/प्रतिदिन समुचित नियंत्रण, आबकारी अपराधों पर सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करना/कराना । * अधीनस्थ आबकारी उपनिरीक्षक पर नियंत्रण रखना । * कार्य क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों की गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण रखना । * मदिरा दुकानों एवं मनोरंजन केन्द्रों की सतत नियमित मानीटरिंग, करना । * प्रभाराधीन भाण्डागारों का शासन निर्देशानुसार संधारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना । * प्रभाराधीन वृत्त कार्यालयों का शासन निर्देशानुसार संधारित रोस्टर अनुसार निरीक्षण करना । * संभागीय कार्यालय सहित वरिष्ठ कार्यालयों को वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना । सामान्य परिस्थिति में दो दिवस में, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करने की स्थिति में 7 दिवस ।

	<ul style="list-style-type: none"> * प्रतिमाह रोस्टर अनुसार मदिरा दुकानों का निरीक्षण करना । * प्रति माह रोस्टर अनुसार मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण करना । * समय—सीमा में मासिक, पाक्षिक व अन्य जानकारी भेजना । * कैश बुक का नियमित / प्रतिदिन सत्यापन करना । * समय—सीमा में मदिरा दुकानों की खपत एवं आय का परीक्षण करना । * मदिरा दुकानों के मूल्य की पंजी का संधारण कराना । * प्राप्त शिकायतों की समय सीमा में जांच कार्यवाही कर वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना । * प्रभाराधीन आबकारी दुकानों के राजस्व की समय पर वसूली करना । * प्रभाराधीन क्षेत्र के आबकारी अपराधों पर सक्षम नियंत्रण रखना । * अधीनस्थों में अनुशासन बनाये रखना । * आबकारी उप निरीक्षकों की दैनंदिनी का परीक्षण व अभिमत अंकित करना । * पी—14 पंजी का संधारण करना । * डी—23 पत्रकों की नियमित परीक्षण कर प्रतिवेदन देना । * आहरण एवं संवितरण संबंधी कार्य करना । * प्राप्त आवेदन पत्रों पर समय सीमा में कार्यवाही करना । * शासन निर्देशानुसार दैनंदिनी समय सीमा में भेजना । * कार्यालय प्रमुख द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालयीन कार्य निर्धारित अवधि में सम्पन्न करना । * कुण्डों का गेजिंग एवं पुर्ण गेजिंग करना । * आवश्कतानुसार कम्प्यूटर कार्य करना / पर्यवेक्षण करना । * राज्य शासन / आबकारी आयुक्त / उपायुक्त आबकारी / सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी / द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना ।
10	<p>आबकारी उपनिरीक्षक</p> <ul style="list-style-type: none"> * अवैध गतिविधियों पर नियमित / प्रतिदिन समुचित नियंत्रण, आबकारी अपराधों पर सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करना / कराना । * अधीनस्थ आबकारी आरक्षकों पर नियंत्रण रखना । * माह में न्यूनतम निर्धारित दिन और रात्रि का परिणाममूलक भ्रमण करना । * कार्य क्षेत्र में होने वाले सभी कार्यों की गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण रखना । * प्रभाराधीन मदिरा दुकानों एवं मनोरंजन केन्द्रों की सतत नियमित मानीटरिंग करना । * संभागीय कार्यालय सहित वरिष्ठ कार्यालयों को वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना । सामान्य परिस्थिति में दो दिवस में, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत करने की स्थिति में 7 दिवस ।

		<ul style="list-style-type: none"> * प्रतिमाह रोस्टर अनुसार मदिरा दुकानों का निरीक्षण करना । * प्रति माह रोस्टर अनुसार मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण करना । * समय—सीमा में मासिक, पाक्षिक व अन्य जानकारी भेजना । * समय—सीमा में मदिरा दुकानों की खपत एवं आय का परीक्षण करना । * मदिरा दुकानों के मूल्यांकन पंजी का संधारण करना । * प्राप्त शिकायतों की समय सीमा में जांच कार्यवाही कर वांछित जानकारी समय—सीमा में भेजना । * प्राप्त आवेदन पत्रों पर समय सीमा में कार्यवाही करना । * शासन निर्देशानुसार दैनंदिनी समय सीमा में भेजना । * कार्यालय प्रमुख द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालयीन कार्य निर्धारित अवधि में सम्पन्न करना । * पंजीबद्ध प्रकरण का प्रतिवेदन समय सीमा में अग्रेषित करना । * वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौपे गये समस्त कार्य समय सीमा में करना । * आवश्कतानुसार कम्प्यूटर कार्य करना । * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना ।
11	संभागीय उड़नदस्ता में पदस्थ जिला आबकारी अधिकारी	<ul style="list-style-type: none"> * उपायुक्त आबकारी के निर्देशानुसार कार्य करना । * आबकारी अपराधों की रोकथाम, आबकारी अपराधों पर सूचना मिलने पर कार्यवाही करना । * आसवनी, यवासवनी, मदिरा निर्माणी केन्द्रों का निरीक्षण करना । * निर्देशानुसार मदिरा दुकानों का निरीक्षण करना । * शिकायतों की जांच करना । * मदिरा मद्य भाण्डागारों का निरीक्षण करना । * आबकारी अपराधों पर सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही । * मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण करना । * पंजीबद्ध प्रकरण का प्रतिवेदन अग्रेषित करना । * आवश्कतानुसार कम्प्यूटर कार्य का पर्यवेक्षण करना । * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना ।
12	संभागीय उड़नदस्ता में पदस्थ सहायक जिला आबकारी अधिकारी /आबकारी उपनिरीक्षक	<ul style="list-style-type: none"> * उपायुक्त आबकारी के निर्देशानुसार कार्य करना । * आबकारी अपराधों की रोकथाम, आबकारी अपराधों पर सूचना मिलने पर त्वरित कार्यवाही करना । * आसवनी, यवासवनी, व मदिरा निर्माणी केन्द्रों का निरीक्षण करना ।

		<ul style="list-style-type: none"> * निर्देशानुसार मदिरा दुकानों का निरीक्षण करना। * शिकायतों की जांच करना। * मदिरा मध्य भाण्डागारों का निरीक्षण करना। * मनोरंजन केन्द्रों का निरीक्षण। * पंजीबद्व प्रकरण का प्रतिवेदन अग्रेषित करना। * आवश्कतानुसार कम्प्यूटर कार्य करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/ द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।
13	मुख्य लिपिक सहायक श्रेणी—1	<ul style="list-style-type: none"> * जिला कार्यालय में सम्पूर्ण कार्य संचालन हेतु उत्तरदायी होना। * प्राप्त समस्त अर्द्ध शासकीय पत्र प्रस्तुत कर प्रतिवेदन भिजवाना। * समय सीमा में कार्य संपादन एवं कार्य व्यवस्था करना * चेक पंजी, शिकायत पंजी, विधानसभा लोकसभा प्रश्नों से संबंधित पंजी, रथाई ज्ञाप पंजी, का संधारण करना। * राजस्व संग्रह पत्रकों का संधारण करना। * लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना। * आडिट संबंधी समस्त कार्य करना। * नस्ती/पत्रों का उसी दिन प्रस्तुतीकरण किया जाये। * नस्ती/पत्रों का परीक्षण कर, अधिकारी को नियत अवधि में प्रस्तुत करना। * नस्तियों का परीक्षण, संचालन एवं संधारण कार्य करना। * महत्वपूर्ण नस्ती/पत्र का गहन परीक्षण कर समय सीमा में प्रस्तुतीकरण। * अधीनस्थ लिपिकों के पास उपलब्ध नष्टीकरण योग्य अभिलेखों पर समूचित कार्यवाही प्रस्तावित करना। * गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण करना। * अन्य लिपिकीय स्टाफ की अनुपस्थिति में उसके कार्य संपादित कराने की अन्य व्यवस्था कराना। * कार्यालय प्रमुख के भ्रमण कार्यक्रम के अनुसार समस्त तैयारी करवाना। * कार्यालय प्रमुख की भ्रमण दैनंदिनी का संधारण करना। * नियमित/प्रतिदिन कम्प्यूटर पर मुद्रलेखन कार्य करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।

14	सहायक श्रेणी-2	<ul style="list-style-type: none"> * नस्ती/पत्रों का त्वरित प्रस्तुतीकरण करना। * नस्ती/पत्र जिसमें परीक्षण की आवश्यकता हो में नियमों को संलग्न कर प्रस्तुत करना। * सामान्य नस्ती/पत्र पर सामान्य परीक्षण एवं सदर्भ में सभी संबंधित नियमों अनुदेशों का उल्लेख होना चाहिए। * शाखा से संबंधित समस्त सर्कूलर्स नस्ती में संलग्न होना चाहिए। * सभी अभिलेख सूचीबद्ध कर व्यवस्थित ढंग से संधारित हों। * निर्धारित समयावधि पश्चात् अभिलेखों को रिकार्ड रूप में जमा कराया जाये या निराकरण की कार्यवाही प्रस्तावित की जाये। * समय सीमा अंकित नस्ती/पत्र पर उसी दिन कार्यवाही करना। * महत्वपूर्ण नस्ती/पत्र का गहन परीक्षण कर समय सीमा में प्रस्तुतीकरण। * नियमित/प्रतिदिन कम्प्यूटर पर मुद्रलेखन कार्य करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।
15	सहायक श्रेणी-3	<ul style="list-style-type: none"> * आवक—जावक करना। * पत्रों की उसी दिन आवक करना। * पत्रों की उसी दिन जावक करना। * पत्रों का पंजीकरण एवं वितरण करना। * प्राप्त पत्र नस्ती में लगाना व संधारण करना। * नस्तियों का परिचालन तत्काल करना। * नस्ती संधारण करना। * नोट्स तैयार कर नस्ती प्रस्तुत करना। * प्रभार की नस्तियां का तत्काल प्रस्तुतीकरण करना। * नियमित/प्रतिदिन कम्प्यूटर पर मुद्रलेखन कार्य करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/ द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।
16	लेखापाल	<ul style="list-style-type: none"> * आहरण वितरण अधिकारी को लेखा सम्बन्धी कार्यों में विधि प्रक्रिया की जानकारी में सलाह देना। * आन्तरिक आहरण सम्बन्धी कार्य करना। * लेखा कंपाईलेशन करना। * परीक्षण/जानकारी संकलन/आहरण के विषयों में करना।

		<ul style="list-style-type: none"> * पाक्षिक/मासिक नियत तिथि तक कम्पाईलेशन कार्य करना। * नियमित/प्रतिदिन कम्प्यूटर पर मुद्रलेखन कार्य करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/ द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना। * लेखा संबंधी समस्त नस्तियों का पुनरीक्षण/पर्यवेक्षण करना। * लेखा लिपिक के द्वारा सम्पादित समस्त कार्य का पर्यवेक्षण कर नियमानुसार कार्य सुनिश्चित करना। * आहरण एवं संवितरण संबंधी समस्त कार्य की मानीटरिंग करना।
17	लेखा लिपिक	<ul style="list-style-type: none"> * लेखा सम्बन्धी समस्त कार्य, यथा पे—बिल, टी.ए. बिल, जी.पी.एफ., डी.पी.एफ., मेडीकल बिल, कास्ट प्राईज बिल, अग्रिम बिल, कटेनजेनसी बिल व पेंशन केस तैयार करना। * कान्ट्रेक्ट कनटेन्जेन्सी रजिस्टर, बजट, व्यय पत्रक बनाना। * प्रत्येक मदवार आवंटित बजट को विहित सीमा तक खर्च करने के लिए बिल तैयार कर कार्यालय प्रमुख के समक्ष में प्रस्तुत करना। * किसी मद में बजट समाप्त होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करने हेतु पत्र तैयार कर कार्यालय प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत करना। * लेखा से संबंधित नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर नस्ती प्रस्तुत करना। * अभिलेखों एवं पंजियों का संधारण करना। * मासिक लेखा तैयार करना। * पत्रों का प्रस्तुतीकरण करना। * नियमित/प्रतिदिन कम्प्यूटर पर मुद्रलेखन कार्य करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।
18	स्टोर लिपिक	<ul style="list-style-type: none"> * मांग पत्र अनुसार सामग्री वितरण स्टॉक पंजी का संधारण करना। * देयकों का सत्यापन उसकी स्वीकृति एवं भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित करना। * उपलब्ध सामग्री वितरण करना। * क्रय कर सामग्री वितरण करना। * देयक एवं भुगतान की कार्यवाही करना। * नियमित/प्रतिदिन कम्प्यूटर पर मुद्रलेखन कार्य करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक

		<p>आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना।</p> <ul style="list-style-type: none"> * स्टोर पंजी तथा पंजी में दर्शायी सामग्री का संधारण करना। * कार्यालयीन अभिलेख (पुराने) का रख रखाव, संग्रह करना। * आरक्षकों/भृत्यों की गणवेश सामग्री से संबंधित कार्यवाही नियत समय पर कर, समयावधि में संबंधित को सामग्री वितरित करना।
19	आबकारी मुख्य आरक्षक	<ul style="list-style-type: none"> * वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का तत्परता से पालन करना। * निर्धारित गणवेश में उपस्थित रहना। * आबकारी आरक्षकों में अनुशासन बनाए रखना, नियमित हाजिरी लेना। * प्रभार क्षेत्र की आबकारी आपराधिक गतिविधियों की अद्यतम् जानकारी। * आदतन अपराधियों को सूचीबद्ध करना। * वृत्त के आबकारी /मनोरंजन शुल्क राजस्व की वसूली में मदद करना। * सूचक तैयार करना। * समंस की तामीली कराना। * आरक्षकों की उपस्थिति पंजी रखना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उप निरीक्षक द्वारा समय—समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना। * आबकारी अपराधों में पकड़े गये अभियुक्त (अजमानत) को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने में ड्यूटी अनुसार कार्य देना। * उपलभ्मन/दविश कार्य दौरान प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना।
20	आबकारी आरक्षक	<ul style="list-style-type: none"> * वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का तत्परता से पालन करना। * अनुशासन बनाए रखना। * निर्धारित गणवेश में उपस्थित रहना। * प्रभार क्षेत्र की आबकारी आपराधिक गतिविधियों की अद्यतम् जानकारी। * आदतन अपराधियों को सूचीबद्ध करना। * वृत्त के आबकारी /मनोरंजन शुल्क राजस्व की वसूली में मदद करना। * सूचक तैयार करना।

		<ul style="list-style-type: none"> * समंस की तामीली करना। * राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/उपायुक्त आबकारी/सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी/सहायक जिला आबकारी अधिकारी/ आबकारी उप निरीक्षक द्वारा समय-समय पर निर्देशित अनुसार कार्य संधारण करना। * आबकारी अपराधों में पकड़े गये अभियुक्त (अजमानत) को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने में ड्यूटी अनुसार कार्य देना। * उपलभ्न/दविश कार्य दौरान प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना।
21	दफतरी	<ul style="list-style-type: none"> * गणवेश में उपस्थित होकर, कार्यालय समय पर खोलना एवं बंद करना, * डाक लगाना, * कार्यालय में आवश्यकतानुसार पानी/चाय आदि पिलाना, बर्तनों को साफ कर रखना। * कार्यालय में अनुशासन बनाए रखना। * कार्यालय प्रमुख/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करना। * किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को कार्यालय में आने से रोकना। * नस्तियों को संबंधित शाखा में पहुंचाना।
22	भूत्य	<ul style="list-style-type: none"> * गणवेश में उपस्थित होकर, कार्यालय समय पर खोलना एवं बंद करना। * डाक लगाना। * नियत समय से कम से कम आधा घण्टा पूर्व कार्यालय खोलकर कार्यालय की सफाई करना। * समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के जाने के बाद कार्यालय को भलिभांति लॉक कर प्रस्थान करना। * नस्तियों को संबंधित शाखा में पहुंचाना। * कार्यालय में आवश्यकतानुसार पानी/चाय आदि पिलाना। बर्तनों को साफ कर रखना। * किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को कार्यालय में आने से रोकना। * कार्यालय में अनुशासन बनाए रखना। * कार्यालय प्रमुख/अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करना।
23	फर्माश	* कार्यालय/प्रसाधनों की समस्त सफाई का कार्य करना।

बिन्दु क्रमांक 3 –

आबकारी नीति का निर्धारण शासन स्तर पर होता है । विभाग द्वारा लागू की गई नीति का क्रियान्वयन संबंधी पर्यवेक्षण किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 4 –

विभाग में दायित्वों के निर्वहन के लिए संबंधित अधिनियमों / नियमों में कार्य संधारण संबंधी नाम्स निर्धारित किए गए हैं । दायित्वों के निर्वहन में इन नाम्स का पालन किया जाता है ।

बिन्दु क्रमांक 5 –

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कर्तव्यों के निष्पादन में उपयोग में लाये गये अधिनियमों, नियमों का विवरण

आबकारी विभाग में निम्नलिखित अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कार्य किया जाता है :–

1. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915
2. मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995
3. मध्यप्रदेश आसवनी नियम 1995
4. मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम 1996
5. मध्यप्रदेश बीयर एवं मद्य नियम 2000
6. मध्य प्रदेश अल्कोहल उतारी नियम 1991
7. नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज एक्ट 1985
8. नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्स्टेंसेज (मध्य प्रदेश) रूल्स 1985
9. भांग नियम
10. सामान्य प्रयुक्ति के नियम
11. विशेष पास नियम
12. ताड़ी नियम
13. दि मेडीसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955
14. दि मेडीसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन (मध्य प्रदेश) ड्यूटी रूल्स 1956
15. मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम 1936
16. मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर नियम 1942
17. मध्यप्रदेश सिनेमा रेग्युलेशन एक्ट 1952 :–
18. मध्यप्रदेश सिनेमा (रेग्युलेशन) नियम, 1972
19. मध्यप्रदेश सिनेमा विनियम (एडवरटाईजिंग वैन) नियम, 1960
20. मध्य प्रदेश सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन योजना के सहायता अनुदान नियम 1982
21. मध्यप्रदेश सिनेमा (वी.सी.आर. द्वारा फिल्म प्रदर्शन) अनुज्ञापन नियम 1983
22. विपकृत प्रासव नियम
23. परिशोधित स्प्रिट नियम
24. मध्य प्रदेश विपकृत मादक (स्प्रिट जन्य) संपाक नियम 1969
25. मध्य प्रदेश मादक संपाक अन्तर्राज्यीय (व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण नियम 1960
27. आपराधिक प्रक्रिया संहिता
28. सिविल प्रक्रिया संहिता
29. भारतीय साक्ष्य अधिनियम
30. मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959

बिन्दु क्रमांक 6 :-

धारित किए जाने वाले अभिलेखों की केटेगरी :-

विभाग में अपराध संबंधी सूचना, सूचक का नाम, अपराध से संबंधित शिकायतकर्ता का नाम तथा कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, गोपनीय अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं। शेष सभी अभिलेख सामान्य श्रेणी में सम्मिलित हैं।

बिन्दु क्रमांक 7 :-

विभाग में जिला योजना सलाहकार समिति में आम जनता की ओर से प्रतिनिधित्व होता है, इस समिति द्वारा परिसर में मदिरा के उपभोग संबंधी लायसेंस की दुकानों के अवस्थान के संबंध में भेजे गये प्रस्तावों पर विचार किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 8 :-

दो या अधिक अधिकारियों को मिलाकर बनाई गई जिला समितियों में सम्मिलित सदस्यों का विवरण नियमानुसार है :-

1 जिला समिति

प्रत्येक जिले में गठित इस समिति में जिला कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी, संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। यह समिति देशी मदिरा / विदेशी मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए अधिकृत की गई है।

2 बार लायसेंसों हेतु जिला समिति

एफ.एल.-2 / एफ.एल.-3 की लायसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन प्राप्त होने पर गठित इस समिति में जिला कलेक्टर, जिले के पुलिस अधीक्षक, संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी, संबंधित जिले के कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सहायक आबकारी आयुक्त / जिला आबकारी अधिकारी सदस्य होते हैं। यह समिति एफ.एल.-2 / एफ.एल.3 लायसेंसों के मापदण्ड के परीक्षण उपरान्त लायसेंस स्वीकृति की अनुशंसा के लिए अधिकृत की गई है।

3 नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सबस्टेंसेज एक्ट 1985 के अंतर्गत मादक पदार्थों के नष्टीकरण के लिए समिति

इस समिति में उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय संबंधित संभाग के उपायुक्त आबकारी व संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त / मुख्यालय के सहायक आबकारी आयुक्त सदस्य होते हैं। यह समिति उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थों को नियमानुसार नष्ट करने के लिए अधिकृत है।

4 कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए समिति

जिन कार्यालयों में एक अथवा अधिक महिलाकर्मी कार्यरत हैं वहाँ कार्यकारी परिसर में महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कम से कम एक महिला सदस्य को सम्मिलित कर समिति गठित की जाती है। यह समिति उपरोक्त संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अधिकृत है।

उपरोक्त सभी समितियों की कार्यवाही पारदर्शी होकर आम जनता तक उपलब्ध है।

बिन्दु क्रमांक 9 :-

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की डायरेक्टरी :-

विभाग के प्रत्येक संवर्ग के अधिकारियों / कर्मचारियों की पदकम सूची का प्रकाशन प्रतिवर्ष किया जाता है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी अधिकारियों की पदकम सूची का प्रकाशन मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में किया जाता है। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, लिपिकीय अराजपत्रित कर्मचारियों व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदकम सूची का प्रकाशन आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा प्रतिवर्ष 1 अप्रैल की स्थिति में किया जाता है। इस पदकम सूची में संबंधित अधिकारी / कर्मचारी का नाम, जाति संवर्ग, पदनाम, जन्म का दिनांक, गृह जिला, शासकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक, संवर्ग में नियुक्ति का दिनांक, स्थाईकरण की स्थिति में स्थाईकरण का दिनांक तथा वर्तमान पदस्थापना का स्थान आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारियों का समावेश रहता है। इस पदकम सूची के संबंध में कार्यालय प्रमुख का यह दायित्व रहता है कि वह इस पदकम सूची को अपने अधीन समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को अवगत करायें तथा यदि कोई त्रुटि परिलक्षित हो तो संबंधित से अस्यावेदन प्राप्त कर उसमें आवश्यक कार्यवाही करें।

बिन्दु क्रमांक 10 :-

विभाग के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन :-

विभाग के प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी को देय एवं भुगतान किये गये वेतन से संबंधित पूर्ण जानकारी रखी जाती है। अधिकारी / कर्मचारी को मिलने वाले वेतन, देय अन्य भत्तों तथा उससे की जाने वाली कटौतियों की जानकारी अद्यतन रखी जाती है। इसमें कर्मचारी द्वारा लिये गये अग्रिमों की जानकारी, आयकर कटौत्रा, वृत्ति कर कटौत्रा आदि की जानकारी का समावेश रहता है। इसका विवरण सम्बन्धित कार्यालयों में व सम्बन्धित कोषालयों में उपलब्ध रहता है।

बिन्दु क्रमांक 11 :-

विभाग की प्रत्येक इकाई को उपलब्ध बजट, प्रस्तावित व्यय व व्यय का प्रतिवेदन :-

प्रत्येक कार्यालय को सुचारू कार्य संधारण हेतु विभिन्न मदों में बजट उपलब्ध कराया जाता है। उपलब्ध कराये गये बजट के अनुसार किये गये व्यय से संबंधित व्यय पत्रक प्रत्येक संभागीय कार्यालयों / जिला कार्यालय द्वारा मुख्यालय भेजे जाते हैं तथा इसकी प्रति संबंधित कोषालयों में दी जाती है। इन दोनों पर पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्य महालेखाकार, मध्यप्रदेश द्वारा किया जाता है। समय समय पर उपलब्ध बजट व्यय आदि से संबंधित अभिलेखों का विभागीय अंकेक्षण दल तथा महालेखाकार, मध्यप्रदेश के अंकेक्षण दल द्वारा अंकेक्षण कार्य किया जाता है। उपरोक्त से सम्बन्धित समस्त जानकारी मुख्यालय पर व जिला कोषालयों में उपलब्ध रहती है।

बिन्दु क्रमांक 12 :-

विभाग में कन्शेसन अनुदान अगर कोई हो तो अनुदान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण :-

1. आबकारी विभाग द्वारा भारतीय सैनिकों से उनके उपयोगार्थ प्रदाय की जाने वाली विदेशी मदिरा पर सिविलियन की तुलना में 33 प्रतिशत रियायती दरों पर ड्यूटी वसूली जाती है।
2. मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के पत्र क्रमांक बी-3-5-92/वा.कर./भोपाल दिनांक 05.11.1992 द्वारा सैनिक यूनिटों में होने वाले वार्षिक उत्सवों में हेतु प्रति सैनिक अधिकारी / कर्मचारी एक बोतल कड़ी मदिरा एवं दो बोतल बीयर के मान से परमिट फीस में छूट दिया जाना, प्रावधानित है।
3. मध्य प्रदेश मनोरंजन शुल्क अधिनियम 1936 की धारा 3 के अन्तर्गत विद्यार्थियों और सैनिकों को मनोरंजन शुल्क भुगतान में छूट प्रदान की गई है।

4. नवीन छविगृह के निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु बनायी गयी योजना के अन्तर्गत, सहायता अनुदान नियम, 1982 बनाये गये हैं।
5. आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में ग्राम सभा को मदिरा दुकानें खोलने—बन्द करने तथा मदिरा की अधिपत्य मात्रा में छूट देने के सन्दर्भ में अधिकार प्राप्त है। आबकारी विभाग ग्राम सभा की सहमति से ही इन क्षेत्रों में आबकारी से सम्बन्धित गतिविधियों का संचालन करता है।
6. इन्दौर, भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर स्थलों में मल्टीप्लेक्स खोलने पर मनोरंजन शुल्क में छूट दिये जाने का प्रावधान है।
7. पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम की इकाईयों को एफ.एल.-2 (रेस्टरां बार) तथा एफ.एल.-3 (होटल बार) लायरेंसों की स्वीकृति सम्बन्धी प्रतिबन्ध व लायरेंस फीस में छूट दिये जाने का प्रावधान है।
8. शिक्षण शालाओं व विशेष संस्थानों को शुल्क मुक्त डिनेचर्ड स्प्रिट/रेविटफाईड स्प्रिट दिये जाने का प्रावधान है।

बिन्दु क्रमांक 13 :-

अनुदान अगर कोई हो तो अनुदान 3 लाख प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का विवरण :-

विभागीय वेबसाइट पर जानकारी दी गई है।

बिन्दु क्रमांक 14 :-

इलेक्ट्रोनिक्स फार्म में जानकारी

आबकारी विभाग की वेबसाइट [www. mpexcise.org.in](http://www.mpexcise.org.in) पर विभाग से सम्बन्धित अधिकांश जानकारी अर्थात् अधिकारियों के नाम, पदस्थापना, टेलीफोन नम्बर, आबकारी एवं मनोरंजन शुल्क आय, मादक पदार्थों की खपत, देशी मदिरा/विदेशी मदिरा के उत्पादन, निर्यात, आयात व अन्य सभी प्रकार के लायरेंसों से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध है। विभाग से सम्बन्धित सभी अधिनियम, नियम, अधिसूचनाओं को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किया जाता है। विशेष अधिसूचनाओं का सूचना का समाचार पत्रों में प्रकाशन भी कराया जाता है। जनसाधारण इससे वांछित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिसे समय—समय पर अद्यतम किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 15 :-

जन साधारण को उपलब्ध सुविधायें जिसमें से वे सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं :-

आबकारी विभाग के अन्तर्गत जन साधारण के लिए निम्न प्रकार कार्य/ गतिविधि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है :-

1. मदिरा की गुणवत्ता के सम्बन्ध में।
2. मदिरा दुकान हटाने/बंद करने की मांग के संबंध में।
3. देशी मदिरा/भांग खरीदी के टेंडर पर स्वीकृत प्रदाय दर/क्य दर तथा टेंडरदाता/प्रदायकर्ता की जानकारी
4. आबकारी राजस्व एवं मनोरंजन शुल्क/विज्ञापन कर की जानकारी
5. आबकारी अपराधों एवं अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जानकारी।
6. अधिकारी /कर्मचारी या लायरेंसी के अवैध कृत्यों की जानकारी।
7. जिला स्तर पर स्वीकृत होने वाले लायरेंसों की जानकारी।
8. महिला नीति के तहत आबकारी दुकान हटाने की कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी।

बिन्दु क्रमांक 16 :-

अधिकारियों के नाम / पदनाम और दूरभाष संबंधी जानकारी

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की पदस्थापना व उनके दूरभाष क्रमांक निम्नानुसार है :-

नाम अधिकारी	पद	कोड नं.	कार्या.	निवास
वाणिज्यिक कर विभाग – भोपाल				
श्री कैलाश चावला	मंत्री वाणिज्यिक कर	0755	2441784	2441662
	विधानसभा		2440249	2430595
डॉ. श्री ए.एन.अस्थाना	प्रमुख सचिव			
	वाणिज्यिक कर	0755	2441515	2441558
श्री एस.पी.एस. परिहार	अपर सचिव	0755	2441701	2574263
श्री आर. के. बाजपेई	अवर सचिव	0755	2441701	2573917
श्री महेश तिवारी	विधि अधिकारी	0755	2587334	2558735
श्री सरफ़	अनु. अधिकारी	0756	2597597	
मुख्यालय – ग्वालियर				
श्री टी.धर्माराव	आबकारी आयुक्त	0751	2452810	2340901
श्री बी.के.व्यास	अपर आयुक्त	0751	2452677	2230805
श्री उत्तम अग्रवाल	अपर आयुक्त	0751	2457358	2342001
श्री डी.आर.जौहरी	उपायुक्त आबकारी	0751	2457898	2348301
श्रीमती मंजु शर्मा	संयुक्त संचालक वित्त	0751	2433626	2435233
श्री जगदीश राठी	जि.आ.अ.			
श्री दुर्गादित्त	जि.आ.अ.			
श्री बी.एस. परिहार	सहा.जि.आ.अ.	0751		2348042
श्री बी.पी.गुप्ता	सहा.जि.आ.अ.	0751		
श्री आर.पी.खण्डेलवाल	सांख्यिकी अधिकारी	751	2422178	
ग्वालियर संभाग				
श्री डी.आर.जौहरी	उपायुक्त आबकारी	0751	2433383	2348301
	फैक्स	0751	2433384	
श्री मुकेश नेमा	सहा.आब.आयुक्त	0751	2326831	2346354
	कंट्रोल रूम	0751	2457220	
श्री बी.पी.भारके	जि.आ.अ.भिण्ड	07534	230509	236744
श्री श्री एन. सोनकेसरी	जि.आ.अ.मुरेना	07532	226581	226428
श्री जी.एस.आर्य	जि.आ.अ.श्योपुर	07530	222521	222347
	कंट्रोल रूम	07530	220495	
श्री पराकम सिंह चन्द्रावत	जि.आ.अ.शिवपुरी	07492	234151	223148
श्री आर.एन.सोनी	जि.आ.अ.गुना	07542	252253	251953
श्री जी.एस.रघुवंशी	जि.आ.अ.अशोकनगर			
श्री प्रमोद झा	जि.आ.अ.दतिया	07522	234631	234603
विदेशी मदिरा मध्यभाण्डार		0751	2457317	
श्री शिशुपाल मिश्रा	जि.आ.अ.ग्वा.डिस्ट.ग्वा	0751	2568305	

उज्जैन संभाग

श्री ए.के.पारे	उपायुक्त आबकारी	0734	2551157	2518570
श्री एस.एन.अली	जि.आ.अ.उ.द.			
श्री शैलेष सिंह	सहायक आयुक्त	0734	2551160	2513908
	कन्ट्रोल रूम		2551159	
श्री वी.के.सक्सैना	सहा.आयु.देवास	07272	220112	252092
श्री संजीव कुमार दुबे	जि.आ.आ. रतलाम	07412	234798	267978
श्री राजेश हैनरी	जि.आ.आ.मन्दसौर	07422	255338	256277
श्री एस.एस.सूपत	जि.आ.आ.नीमच	07423	228373	228374
	कन्ट्रोल रूम	07423	228984	
श्री यशवंत घनौरा	सहा.आयु.शाजापुर	07364	226838	229839
विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागार		0734	2552371	
श्रीमती वंदना पाण्डे	रतलाम अल्को.प्लांट			

जबलपुर संभाग

श्री ए.के.दीक्षित	उपायुक्त आबकारी	0761	2401500	2415911
श्री	जि.आ.आ.उ.द.			
श्री के.सी.अग्निहोत्री	जि. आब. अधि. जबलपुर	0761	2624358	5036820
	कन्ट्रोल रूम	0761	2409619	5037159
श्री आर.एन.अग्निहोत्री	जि.आ.आ.कटनी	07622	231217	235213
श्री डी.एन.चतुर्वेदी	जि.आ.आ.नरसिंहपुर	07792	230691	230481
श्री सी.एल.तारम	जि.आ.आ.मण्डला	07642	252231	252219
श्री एस.एल.वर्मा	जि.आ.आ.डिण्डोरी	07644		234721
श्री पी.एस.सिकरवार	जि.आ.आ.छिंदवाडा	07162	243407	243408
श्री नरेश चौबे	जि.आ.आ.बालाघाट	07632	248273	248277
श्री हर्षवर्धन राय	जि.आ.आ.सिवनी	07692	220683	220899
विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागार जबलपुर		0761	2640049	

सागर संभाग

झी.एस.राजपूत	उपायुक्त आबकारी	07582	224502	237291
श्री आर.आर.ओसवाल	जि.आ.आ.उ.द.			
श्री आर.एस.दोहरे	सहा.आयुक्त सागर	07582	236202	223549
	कन्ट्रोल रूम	07582	236409	
श्री ए.आर.गोयल	जि.आ.आ.टीकमगढ़	07683	242467	242468
श्री तारासिंह धुर्वे	जि.आ.आ.दमोह	07812	222165	222337
श्री संजय तिवारी	जि.आ.आ.छतरपुर	07682	248281	248271
श्री जी.पी.पाण्डे	जि.आ.आ.पन्ना	07732	252076	252070
विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागार सागर		07582	263240	
श्री आर.सी.चौहान	नौगांव आसवनी	07685	256316	

रीवा संभाग

श्री एम.के.जैन	उपायुक्त आबकारी	07662	256065	254831
	फैक्स	07662	256046	
श्री	जि.आ.अ.उ.द.	07662		
श्री सुरेश पाण्डे	सहा.आ.रींवा	07662	256855	258712
श्री संदीप शर्मा	जि.आ.अ.सतना	07672	224794	223210
श्री सत्यनारायण दुबे	जि.आ.अ.सीधी	07822	252278	250342
श्री पी.एस.नेताम	जि.आ.अ.शहडोल	07652	245248	241383
श्री के.के.चतुर्वेदी	जि.आ.अ.अनूपपुर			
श्री पी.एल.राकेश	जि.आ.अ.उमरिया	07653	222932	222422
	कन्द्रोल रुम	07653	222931	
विदेशी मदिरा मद्यभाण्डागार रीवा		07662	221502	
इन्दौर संभाग				
श्री जे.एस.सेंगर	उपायुक्त आबकारी	0731	2574510	2710644
			2574511	
श्री जी.एस.पाराशर	जि.अ.अ.उ.द.			
श्री नवलसिंह जामोद	सहायक आयुक्त	0731	2449127	2514445
	कन्द्रोल रुम			
श्री अजय शर्मा	जि.आ.अ.धार	07292	222715	234716
श्री के.सी.कोरी	स.आ.आ. झाबुआ	07392	243653	243658
श्री पी.सी.माहोर	जि.आ.अ.खरगौन	07282	231399	234982
श्री प्रत्युष काबरा	जि.आ.अ.बडवानी	07290	224162	224161
	कन्द्रोल रुम		224163	
श्री मनीश खरे	जि.आ.अ.खण्डवा	0733	2223218	2223291
	कन्द्रोल रुम		2223291	
श्री प्रकाश पाराशर	जि.आ.अ.बुरहानपुर			
विदेशी मद्यभाण्डागार		0731	223308	
राज्य स्तरीय उडनदस्ता, भोपाल				
श्री प्रकाश पाण्डे	उपा.रा.स्त.उ.द.	0755	2578687	2431241
			2578608	
भोपाल संभाग				
श्री इन्द्रपाल सिंह	उपायुक्त आबकारी	0755	2464315	2431290
श्री राधवेन्द्र उपाध्याय	जि.आ.अ.		2464315	
श्री अमोलक सिंह छाबडा	सहा.आब.आयुक्त		2540771	2430400
	कन्द्रोल रुम		2741394	
श्री आलोक खरे	जि.आ.अ.सीहोर	07562	224141	254298
श्री के.के.डोहर	जि.आ.अ.विदिशा	07592	232818	232248
श्रीमती नीरजा श्रीवास्तव	जि.आ.अ.रायसेन	07482	222018	222017
श्री राकेश श्रीवास्तव	जि.आ.अ.राजगढ़	07372	255004	255005
श्री एस.आर.धुर्वे	जि.आ.अ. होशंगाबाद	07574	252243	252242
श्री के.के.बिडला	जि.आ.अ. बैतूल	07141	234214	234317
श्री जी.पी.बागरी	जि.आ.अ. हरदा	07577	224620	225835

विदेशी मुदिरा मद्यभाण्डा.भोपाल		0755	2734370	
श्री एस. के. वर्मा	सहा.जि.आ.अ.		62.851179	

17. अन्य :— विभाग से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों / नियमों / अधिसूचनाओं /टेण्डर नोटिस का प्रकाशन राजपत्र के साथ साथ प्रमुख समाचार पत्रों में कराया जाता है। इसे विभागीय वेबसाइट पर भी अंकित किया जाता है।

(टी.धर्मराव)
आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश